


**सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना
बस्ती परिक्षेत्र बस्ती**

1. परिक्षेत्र स्तर पर सूचना का अधिकारी अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जनसूचना अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ सहायक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।
2. **जनसूचना अधिकारी की शक्तियाँ/कार्य:-** जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को अन्तरित किया जाना।
सहायक जनसूचना अधिकारियों की शक्तियाँ/कार्य:- अपने शाखा से सम्बन्धित सूचना, जनसूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना।
3. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसका रजिस्ट्रीकरण एवं सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित करना या सूचनाएं प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना।
4. विहित सीमा के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त करना और समय से आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना/कराना।
6. दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है।
 - कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रा० पत्र।
 - पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रा० पत्र।
 - शासन/अन्य से प्राप्त प्रा० पत्र।
 - अपीलीय प्रार्थना पत्र।
7. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
8. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
9. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।
10. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
11. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
12. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
13. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
14. समस्त सूचनाएं नियमानुसार कम्प्यूटर में अद्यतन की जाती है।
15. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

16. परिक्षेत्र स्तर पर जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी के पद नाम एवं कार्यों का विवरण:-

क्रम सं०	नाम	पदनाम	कार्य
1.	श्री विनय कुमार उपाध्याय (एस०आई०एम०)	प्रधानलिपिक / जनसूचना अधिकारी	व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा मांगी गई सूचना को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधि० 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को अन्तरित किया जाना।
2.	श्री वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी निरीक्षक(एम०)/आशुलिपिक	गोपनीय सहायक / सहायक जनसूचना अधिकारी	जनसूचना अधिकारी को अपने शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना।
3	श्री रमेश यादव उ०नि० (ना०पु०)	रीडर / सहायक जनसूचना अधिकारी	जनसूचना अधिकारी को अपने शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना।
4	श्री कृष्ण कुमार शाहू उ०नि०(ना०पु०)	पीआरओ / सहायक जनसूचना अधिकारी	जनसूचना अधिकारी को अपने शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना
5	श्री त्रियुगी प्रसाद	(आरक्षी)	समस्त अभिलेखों का रखरखाव करना, आलेख प्रस्तुत करना, अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों को कम्प्यूटर में अद्यतन करना।

17.सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।


 प्रधान लिपिक / जनसूचना अधिकारी,
 कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक,
 बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती।